न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह आर.ए.एस.

प्र0न0 – 85/2019(2019/00329)

उनवान : –

भूपसिंह पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।

प्रार्थी।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :— श्री लीलाधर अग्रवाल प्रार्थी
राज पैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : 02/03/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 एमआरएन के वर्तमान खाता सं 30/29 संवत् 2072–75 के कुल किता 31 की कुल 7.843 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता खाला, चक 1 जेजीडब्लयू संवत् 2074–77 के खाता संख्या 39/33 की कुल किता 13 की कुल 2.377 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता, चक 8 एएमएस के खाता संख्या 12/11 की संवत् 2074–77 की कुल किता 18 की कुल 4.554 हैक्टेयर नहरी बारानी का मुश्तर्का खाता में संयुक्त खाते की कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का लीलूराम के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम भूपसिंह है।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम भूपसिंह की बजाऐ लीलूराम दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी का आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र व भामाशाह कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम भूपसिंह दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत जनाणा के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में भूपसिंह की बजाऐ लीलूराम दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी उक्त कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता है और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित नाम लीलूराम के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम भूपसिंह दर्ज करना नियमानुसार जायज कानूनी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:09:37 IST
Reason: SelfAttested

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम भूपसिंह के स्थान पर लीलूराम दर्ज होने से प्रार्थी राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं को ऑन लाईन

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी का नाम लीलूराम दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। प्रार्थी के रोही मौजा चक 1 एमआरएन के वर्तमान खाता सं 30/29, चक 1 जेजीडब्लयू के खाता संख्या 39/33 व चक 8 एएमएस के खाता संख्या 12/11 में प्रार्थी का नाम भूपसिंह दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया, जो शामिल पत्रावली की गई।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने रोही रोही मौजा चक 1 एमआरएन के वर्तमान खाता सं 30/29, चक 1 जेजीडब्लयू के खाता संख्या 39/33 व चक 8 एएमएस के खाता संख्या 12/11 में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि **"प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में भूपसिंह के स्थान पर लीलूराम दर्ज हो गया।"** जिसके समर्थन में प्रार्थी ने अपनी चित्रप्रति आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र व अन्य दस्तावेज पेश किये है जिनमें प्रार्थी का नाम भूपसिंह अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा चक 1 एमआरएन के वर्तमान खाता सं 30/29, चक 1 जेजीडब्लयू के खाता संख्या 39/33 व चक 8 एएमएस के खाता संख्या 12/11 में प्रार्थी का नाम **"लीलूराम के स्थान पर लीलूराम उर्फ भूपसिंह"** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए लीलूराम ही प्रभावी माना जायेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। तहसीलदार राजस्व भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02/03/2021 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:09:37 IST
Reason: SelfAttested

(ओ.पी.सैन) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़